तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स रामचरन वगैरह vs पृथ्वी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
20/2/19	वकील वादीगण उप० (स्वयं) दावा वादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खारिज किया गया। पत्रावली कैफियत अमल होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
71/17	दावा	27.09.17	20.02.09

1. रामधन पुत्र झीत्या जाति बैरवा आयु 72 साल निवासी झोंगा तन जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. जानकी पत्नि रामधन आयु 69 साल जाति बैरवा निवासी झोंगा तन जीरोता तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. पृथ्वी पुत्र किरोड़ी
2. लोहड़े पुत्र किरोड़ी
3. कमला पत्नि लोहड़े
4. सीमा पत्नि लोहड़े

जाति मीना निवासी जोड़ली तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः– श्री मुकेश कुमार शर्मा वकील वादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1400 रकबा 01 बीघा 17 विस्वा, खसरा नं0 1401 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम जीरोता तहसील सपोटरा मे स्थित है जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर वादीगण इस वर्ष फसल बाजरे व तिली की फसल काश्त की है जो पक कर सरसब्ज हालत मे खड़ी हुई है। विवादित आराजीयात व फसल तिली बाजरा से वादीगण के अलावा दीगर किसी का कोई सम्बन्ध व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण सहजोर ताकत वाले आदमी वाले लट्ठ वाले व्यक्ति है और प्रतिवादीगण की बाहुल्यता है। प्रतिवादीगण वादीगण के द्वारा की गई काश्ता फसल बाजरा व तिली को काटने नही दे रहे है। वादीगण जब उक्त फसलों की कटाई करने जाते है तो प्रतिवादीगण लाठी डण्डा लेकर आ जाते है व खेत मे फसलों की कटाई नही करने देते है। दिनांक 18.09.2017 को प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त विवादित आराजीयात मे अनाधिकार प्रवेश कर घुस आये और फसल बाजरा व तिली को वादीगण को काटने नही दिया व जान से मारने की धमकी दी व फसलों से महरूम करने की एलानिया धमकी दी। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को हाथ जोड़ कर मना किया कि आपका उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है हमे हमारी फसल काटने दो तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और फोस गालियां देने लगे व जानसे मारने पर उतारू हो गये। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वकील वादीगण ने साक्ष्य मे वादी रामधन का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम जीरोता सम्बत् 2071–74 प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3 पेश किये है।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी ग्राम जीरोता तहसील सपोटरा सम्बत् 2071–74 के अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात का संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है

Scanned by CamScanner

जिसमे वादीगण के साथ अन्य सहखातेदार भी दर्ज है जिनको वाद पत्र मे वादीगण द्वारा पक्षकार नही बनाये गये है। पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नं0 1400 व 1401 मे वादीगण एवं अन्य सहखातेदार जिन्हे वाद पत्र मे वादीगण द्वारा पक्षकार नही बनाये गये है। संयुक्त खातेदारी की आराजी मे बिना बंटवारा कराये वादीगण एवं अन्य सहखातेदारों के हिस्सा स्पष्ट नही होता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों मे यह बात भी कही नही लिखी है कि प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार हो। संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का दावा सभी सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना चलने योग्य नही है, दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

1.

Scanned by CamScanner